

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व निलेश्वर  
भू अभिलेख निरीक्षक गोरखा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
करेड़ा की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कानजीका खेड़ा पटवार हल्का विशेष्वर तहसील करेड़ा  
व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 30  
में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद  
के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
02	कानजी का खेड़ा	30	लक्ष्मण पिता भमरा	भच्छीराम पि० भमरा

उपखण्ड अधिकारी  
प्रभारी अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा  
करेड़ा  
दिनांक :-

क्रमांक/न्यायालय/2021/01

प्रतिलिपि:-

- 1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- 2- प्रार्थी श्री भच्छीराम पि० भमरा कुमावत नि० कानजीका खेड़ा

उपखण्ड अधिकारी  
प्रभारी अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा  
करेड़ा